

सत्र प्रकरण /188/2022 (छ.ग. शासन वि० नईहर साय)

Witness No.....**13**.....for.....अभियोजन.....Deposition taken on the.. 04.12.2023..day ofसोमवार.... Witness's apparent age....48 yrs....

States on affirmation..शपथपूर्वक..My name is.....सिदीयुस लकड़ा.....

Son ofस्व. फिलमोन लकड़ा Occupation.....सहायक उप-निरीक्षक....

Address.पुलिस सहायता केन्द्र, मेडिकल कॉलेज अस्पताल, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)

/मुख्य परीक्षण द्वारा श्री राकेश सिन्हा, अति. लोक अभियोजक वास्ते अभियोजन/

1- मैं वर्ष 2021 से पुलिस सहायता केन्द्र, मेडिकल कॉलेज अस्पताल, अम्बिकापुर में सहायक उप-निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूँ।

2- दिनांक 09.09.2022 को पुलिस सहायता केन्द्र, मेडिकल कॉलेज अस्पताल, अम्बिकापुर में सूचक नेमसाय आ० चिताराम द्वारा इस आशय का सूचना दिया गया था कि नामिक साय आ० स्व. बन्नू की मारपीट से आयी चोटों के कारण मृत्यु हो गयी है, जिस पर मैंने मर्ग इंटीमेशन दर्ज किया था, जो प्र.पी.-15 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरा हस्ताक्षर है।

3- इसी दिनांक को मैंने मेडिकल कॉलेज अस्पताल अम्बिकापुर में गवाहों को नोटिस देकर उनके सामने मैं मृतक नामिक साय के शव का निरीक्षण कर पंचनामा तैयार किया था। नोटिस प्र.पी.-1 एवं शव पंचनामा प्र.पी.-2, जिनके स से स भागों पर मेरा हस्ताक्षर है।

4- इसी दिनांक 09.09.2022 को मैंने मृतक नामिक साय के शव का पोस्टमार्टम कर रिपोर्ट दिये जाने हेतु जिला चिकित्सा अधिकारी, मेडिकल कॉलेज अस्पताल अम्बिकापुर को आवेदन लिखा था, वह आवेदन प्र.पी.-16 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरा हस्ताक्षर है। उक्त संबंध में आरक्षक भीमराज सिंह क्र.-884 को दिया गया कर्तव्य प्रमाण पत्र प्र.पी.-17 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरा हस्ताक्षर है।

/प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री आर०एस० कुशवाहा, पैनल लॉयर वास्ते अभियुक्त/

5- यह कहना सही है कि प्र.पी.-15 मेरी हस्तलिपि में है। यह कहना गलत है कि मैंने प्र.पी.-15 को सूचक नेमसाय को पढ़कर नहीं सुनाया था। यह कहना सही है कि प्र.पी.-1 में समय का उल्लेख नहीं है। स्वतः कहा कि इसमें समय का उल्लेख नहीं होता है। यह कहना गलत है कि प्र.पी.-17 में उसे बनाये जाने के स्थान का उल्लेख नहीं है। यह कहना गलत है कि प्र.पी.-2 में गवाहों का हस्ताक्षर मैंने थाना में लिया था। यह कहना सही है कि शव परीक्षण आवेदन में मृतक के मरने का दिनांक 09.09.2022 के 12.24 AM उल्लेखित है, जिस पर ओवर रायटिंग है।

गवाह को पढ़कर सुनाया,
सही होना स्वीकार किया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

सही/-
(राम कुमार तिवारी)
सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर
जिला-सरगुजा (छ.ग.)

सही/-
(राम कुमार तिवारी)
सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर
जिला-सरगुजा (छ.ग.)